क्रम-संख्या–164 (घ–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 18 सितम्बर, 2024

भाद्रपद 27, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व विभाग

संख्या 786 / एक-4–2024
लखनऊ, 18 सितम्बर, 2024

अधिसूचना

प0आ0–357

चूंकि सेवाएं या प्रसुविधायें या सहायिकी प्रदान करने के पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी परिदान प्रक्रियाएं सुगम हो जाती हैं, पारदर्शिता एवं दक्षता आ जाती है, और लाभार्थी अपनी पहचान साबित करने के लिये बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त होते हुए सुविधाजनक और निर्बाध रीति से अपना हक प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं;

और, चूंकि, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (जिसे आगे ''प्राधिकरण'' कहा गया है) द्वारा आधार और अधिप्रमाणीकरण सेवायें प्रदान की जा रही हैं;

और, चूंकि, राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश सरकार (जिसे आगे ''उक्त विभाग'' कहा गया है) द्वारा खतौनी (अधिकारों का अभिलेख) व अन्य भूमि अभिलेख (जिसे आगे ''उक्त अभिलेख'' कहा गया है) तथा सम्बन्धित सेवायें दी जा रही हैं;

और, चूंकि, उक्त विभाग के अधीन क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण (जिसे आगे ''राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश'' कहा गया है) द्वारा विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उत्तर प्रदेश में या प्रदेश के बाहर अधिवास करने वाले नागरिकों (जिन्हें आगे लाभार्थी / सेवा प्राप्तकर्ता कहा गया है) को विरासत, भूमि ऋणबंधक, किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, भूमि अधिग्रहण, हैसियत प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सरकारी भूमि का आवंटन (पट्टा आवंटन) व अन्य कृषि निवेश एवं निवेशों / सुविधाओं / सेवाओं इत्यादि के प्रयोगार्थ प्रमाणित खतौनी (अधिकारों का अभिलेख) व अन्य भूमि अभिलेख तथा सम्बन्धित सेवायें मांग के आधार पर दी जाती है;

और, चूंकि, स्वैच्छिक आधार पर उक्त अभिलेख एवं संबंधित सेवाओं की आधार सीडिंग, केंद्रीय सरकार के डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में सम्मिलित घटकों में से एक है;

और, चूंकि, उक्त अभिलेखों एवं सम्बन्धित सेवाओं में उत्तर प्रदेश की संचित निधि एवं प्रयोक्ता प्रभार से उपगत आवर्ती व्यय सम्मिलित है;

और, चूंकि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016) (जिसे आगे ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 4(4) (ख) (दो), आधार सीडिंग और स्वैच्छिक आधार पर अधिप्रमाणीकरण करने की मंजूरी देता है, जो ऐसे प्रयोजनों के लिये, जैसा कि केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण के परामर्श से, राज्य के हित में विहित कर सकती है;

और, चूंकि, भारत सरकार ने सुशासन के लिये आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार ज्ञान) नियमावली, 2020 बनाया है, जिसके अधीन राज्य सरकार स्वैच्छिक आधार पर आधारक अधिप्रमाणीकरण का उपयोग करने की अनुज्ञा प्राप्त कर सकती है;

और, चूंकि, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या 13 (4)/2020–EG–II (Vol-V), दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 द्वारा आधार अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) की धारा 4 (4) (ख) (दो) के साथ पठित सुशासन के लिये आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 4 व 5 के निबंधन के अनुसार पहचान के प्रयोजनार्थ उक्त अभिलेखों और सम्बन्धित सेवाओं की आधार सीडिंग और स्वैच्छिक आधार पर आधार का प्रयोग करने के लिये राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को अनुज्ञात करने हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन हस्तांतरित कर दिया है।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश सरकार आधार अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) की धारा 4(4) (ख) (दो) के साथ पठित सुशासन के लिये आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 4 व 5 के अधीन उक्त अभिलेखों और सम्बन्धित सेवाओं के प्रबंधन, अद्यतन और उन्नयन और स्वैच्छिक आधार पर आधार सीड करने और आधार अधिप्रमाणन करने हेतु राजस्व विभाग के अधीन राजस्व परिषद को (जिसे आगे ''परिषद'' कहा गया है) प्राधिकृत और अनुज्ञात किया जाना निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्द्वारा अधिसूचित करती है:–

1–(क) तत्काल अनुमोदन "हां या नहीं अधिप्रमाणीकरण और ई–केवाईसी अधिप्रमाणीकरण" दोनों सुविधाओं के लिये है।

(ख) उक्त अभिलेखों एवं संबंधित सेवाओं को प्राप्त करने के लिये, पात्र व्यक्ति को स्वैच्छिक आधार पर आधार रखने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणीकरण कराने की अपेक्षा की जा सकती है।

(ग) उक्त अभिलेखों व सम्बन्धित सेवाओं को प्राप्त करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, जो आधार धारित न करता हो या जिसने अभी तक आधार के लिये नामांकन न किया हो, से उक्त अभिलेख व सम्बन्धित सेवाओं के लिये रजिस्ट्रीकृत करने के पूर्व आधार नामांकन के लिये आवेदन करने की अपेक्षा की जायेगीः

परन्तु यह कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसे व्यक्तियों को आधार हेतु नामांकित किये जाने के लिये किसी आधार नामांकन केन्द्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है] पर जाना होगा।

(घ) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से ऐसे, लाभार्थियों/सेवा प्राप्तकर्ता, जो अभी तक आधार के लिये नामांकित न हो, के लिये आधार नामांकन सुविधायें पेश करने की अपेक्षा की जायेगी, और यदि संबंधित ब्लाक या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित न हो तो विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्ट्रार होकर सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधायें प्रदान करेगा।

(ङ) आधार अधिनियम, 2016 की धारा 29 के निबंधन में अधिप्रमाणीकरण के प्रयोजनार्थ निवासी को सूचना देकर सहमति प्राप्त की जायेगी। जिस प्रयोजनों के लिये आधार संख्या और संबंधित सूचना मांगी जा रही है, उन्हें निवासी को स्पष्ट रूप से संसूचित किया जाना चाहिये। विनिर्दिष्ट रूप से, जिस रीति से आधार संख्या एकत्र किया जायेगा, संग्रहीत किया जाएगा और उपयोग किया जायेगा, उसे निवासियों को स्पष्ट रूप से संसूचित किया जाना चाहिए।

(च) लाभार्थी/सेवा प्राप्तकर्ता के आधार संख्या को कहीं भी प्रदर्शित नहीं किया जायेगा। केवल अंतिम 4 अंक ही प्रदर्शित किये जाएंगे, प्रथम के 8 अंकों को आच्छादित (masked) रखा जायेगा।

(उदाहरणार्थ XXXX XXXX NNNN)

(छ) लाभार्थी/सेवा प्राप्तकर्ता के आधार संख्या को सुरक्षित रखा जायेगा और आधार डेटा वाल्ट में समय–समय पर जारी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के परिपत्रों के अनुसार संग्रहीत किया जायेगा।

(ज) कोविड–19 जैसी महामारी की स्थिति में, आधार अधिप्रमाणीकरण के लिये राज्य सरकार द्वारा बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन हेतु फिंगर प्रिंट के स्थान पर आईरिस स्कैन या फेस आथेंटिकेशन को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(झ) राज्य सरकार आधार अधिनियम के समस्त सुसंगत उपबंधों/नियमों और इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये विनियमों और अन्य अनुदेशों का अनुपालन करेगा।

(ञ) परिषद अपने एप्लीकेशन साफ्टवेयर की सीईआरटी–इन के पैनल में शामिल आईएस संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षित करवाएगा और रिपोर्ट भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को प्रस्तुत करेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा दिये गये किसी भी पश्चात्वर्ती सुझावों का भी अनुपालन किया जा सकता है।

(ट) राजस्व परिषद यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों के आधार अधिप्रमाणीकरण से संबंधित आधार अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा 3क (3) और धारा 8 (2) और (3) के उपबंधों का बिना किसी चूक के सख्ती से पालन किया जाये। आधार न होने या आधार का उपयोग करके अधिप्रमाणीकरण करने में विफलता के कारण किसी बच्चे को किसी भी लाभ, सब्सिडी या सेवा से वंचित नहीं किया जायेगा। बच्चे के मामलें में, उसके माता–पिता या अभिवावक की सहमति प्राप्त किये बिना कोई अधिप्रमाणीकरण नहीं किया जाएगा।

(ठ) आधार ई–केवाईसी, निवासी की फोटो चित्र के साथ जनसंख्यिकीय पैरामीटर–नाम, जन्म तिथि, लिंग, निवास का पता प्रदान करता है, जैसा कि आधार में है। यह निवासी के किसी भी व्यक्ति के साथ सम्बन्ध का कोई विवरण नहीं देता है, जैसा पिता, माता आदि का नाम।

(ड) आधार आधारित अधिप्रमाणीकरण की विफलता के कारण निवासी को किसी भी सेवा/लाभ से वंचित नहीं किया जायेगा।

(ढ) निवासी को पहचान/सत्यापन के वैकल्पिक तंत्र के बारे में सूचित किया जायेगा क्योंकि आधार अधिप्रमाणीकरण के तत्काल उपयोग की अनुमति पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर है।

(ण) निवासी को ई–केवाईसी सूचना का पूरा विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, इसके बजाय केवल आवश्यक जनसांख्यिकीय विवरण जैसे कि पहला नाम, जन्म का वर्ष आदि प्रदर्शित किया जा सकता है।

(त) निवासियों का बायोमेट्रिक अधिप्रमाणीकरण केवल राजस्व परिषद और सीईजी उत्तर प्रदेश/आईटी एवं इलेक्ट्रानिक विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राधिकृत आपरेटर द्वारा नियंत्रित वातावरण के सहायक मोड में किया जायेगा।

(थ) राजस्व परिषद और सीईजी उत्तर प्रदेश/आईटी एवं इलेक्ट्रानिक विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे न्यायमूर्ति के एस पुट्टस्वामी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में रिट याचिका (सिविल) संख्या–494/2012 में दिनांक 26.09.2018 को दिये गये अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय के निदेशों का पालन सुनिश्चित करें।

यदि दावेदार अपने आधार का उपयोग करके अधिप्रमाणीकरण करने का आशय नही रखता है तो सक्षम प्राधिकारी पहचान के तरीकों को पृथकतः अधिसूचित करेगा।

2–उक्त अभिलेखों और सम्बन्धित सेवाओं को सुविधाजनक रूप से प्रदान करने के उद्देश्य से, विभाग को अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिये समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करनी होगी कि मीडिया के माध्यम से लाभार्थियों के लिये व्यापक प्रचार–प्रसार, उन्हें उक्त अभिलेखों और सम्बन्धित सेवाओं हेतु आधार की आवश्यकता से अवगत कराने के लिये किया जायेगा।

3–समस्त मामलों में, लाभार्थियों का आधार अधिप्रमाणीकरण निम्नलिखित में से किसी भी उपचारात्मक तंत्र द्वारा किया जायेगा, अर्थातः–

(क) बायोमेट्रिक्स अधिप्रमाणीकरण फिंगर प्रिंट के द्वारा;

(ख) खराब फिंगर प्रिंट की गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणीकरण के लिये आईरिस स्कैन या फेस अधिप्रमाणीकरण सुविधा अपनाई जायेगी, जिससे विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सहज रीति से प्रसुविधाओं के परिदान हेतु फिंगरप्रिंट अधिप्रमाणीकरण के साथ ही साथ आईरिस स्कैनर या फेस अधिप्रमाणीकरण के लिये उपबन्ध करेगा;

(ग) यदि फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या फेस अधिप्रमाणीकरण के माध्यम सेबायोमेट्रिक अधिप्रमाणीकरण सफल नहीं होता है तो जहां कहीं भी संभाव्य और अनुज्ञेय हो, सीमित समय की वैधता के साथ, यथास्थिति आधार वन टाइम पासवर्ड या समय–आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणीकरण प्रदान किया जा सकता है;

(घ) अन्य समस्त मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणीकरण संभव न हो, वहां स्कीम के अधीन लाभ भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिया जा सकता है, जिसकी अधिप्रमाणिकता, आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रिस्पान्स कोड (क्यूआर कोड) के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और क्विक रिस्पान्स कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था विभाग द्वारा अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर प्रदान की जायेगी।

4–उपरोक्त अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति को अधिप्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने या आधार रखने का प्रमाण देने में विफल रहने के मामले में उक्त अभिलेखों और सम्बंधित सेवाओं को देने से वंचित नहीं किया जायेगा।

5–यह अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगी।

———————————————————————————————————

आधार अधिप्रमाणीकरण के लिये लाभार्थी/सेवा प्राप्तकर्ता से निम्नलिखित अनुसूची ''क'' में दिये गये प्रारूप के अनुसार सहमति प्रपत्र (भौतिक/डिजिटल) लिया जायेगा।

अनुसूची ''क''

सहमति प्रपत्र प्रारूप

मैं.....(आधार धारक) पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... (आधार धारक के पिता का नाम/माता का नाम/पति का नाम) एतद्द्वारा स्वैच्छिक आधार पर अपने आधार संख्या के उपयोग के लिये सहमति देता हूँ ताकि हां/नहीं जनसांख्यिकीय अधिप्रमाणीकरण के लिये या यूआईडीएआई के माध्यम से ई–केवाईसी के प्रयोजनार्थ मेरी पहचान और अन्य सूचना प्राप्त करने के लिये यूआईडीएआई के साथ आधार ओटीपी या बायोमेट्रिक अधिप्रमाणीकरण का उपयोग करके और खतौनी (अधिकारों का अभिलेख) व अन्य भूमि अभिलेखों और सम्बन्धित सेवाओं और उससे संबंधित किसी भी प्रक्रिया में मेरे अभिलेख की पहचान के प्रयोजनार्थ और आईटी प्रणाली द्वारा बनाए गये विभाग के डेटाबेस में विवरण दर्ज करने के लिये उपयोग किया जा सके।

आधार एकत्र करने की सहमति और प्रयोजन मुझे स्थानीय भाषा में समझाया गया है। विभाग ने मुझे सूचित किया है कि मेरे आधार का उपयोग उपरोक्त उल्लिखित से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

मुझे विभाग द्वारा केवाईसी प्रयोजन के लिये अन्य वैकल्पिक साधन दिये गये हैं जिसमें आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज प्रस्तुत करके भौतिक केवाईसी सम्मलित है और मैंने स्वेच्छा से आधार आधारित केवाईसी को चुना है।

मैं समझता/समझती हूँ कि अधिप्रमाणीकरण के लिये मेरे द्वारा प्रदान किये गये बायोमेट्रिक और/या ओटीपी का उपयोग केवल उस विशिष्ट संव्यवहार के लिये आधार अधिप्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से मेरी पहचान को प्रमाणित करने के लिये किया जायेगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं।

आज्ञा से,

पी0 गुरूप्रसाद,

प्रमुख सचिव,

राजस्व, उ0प्र0।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 786/One-4–2024, dated September 18, 2024 :

No. 786/One-4–2024

Dated Lucknow, September 18, 2024

WHEREAS the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies, simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables the beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove ones identity;

AND, WHEREAS, Aadhaar and authentication services are being provided by the Unique Identification Authority of India (hereinafter referred to as "the Authority");

AND, WHEREAS, the Department of Revenue, Government of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as "the said Department") is issuing the Khatauni (Record of Rights) and other land records (hereinafter referred to as "the said records") and related services;

AND, WHEREAS, the implementing agency (hereinafter referred to as "the said Board of Revenue UP") under the said department issues certified Khatauni (Record of Rights) and other land records and related services, as per the existing guidelines to the citizens (hereinafter referred to as beneficiaries/service recipients) domiciled in or outside of Uttar Pradesh for inheritance, land loan mortgage, Kisan Samman Nidhi, Kisan Credit Card, Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojna, Land Acquisition, Solvency Certificate, Income Certificate, Allotment of Government Land (Patta Aavantan) and other Agricultural Inputs and inputs/facilities/services *etc*. on the basis of demand;

AND, WHEREAS, Aadhaar seeding with the said records and related services on a voluntary basis is one of the components included in the Digital India Land Records Modernization Program of the Central Government;

AND, WHEREAS, the said records and related services involve recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Uttar Pradesh and user charges;

AND, WHEREAS, section 4(4)(b)(ii) of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no. 18 of 2016) (hereinafter referred to as "the said Act"), allows Aadhaar seeding and performing authentication on voluntary basis, for such purposes as, the Central Government may, in consultation with the Authority, prescribe in the interest of the State;

AND, WHEREAS, the Government of India has made the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, under which the State Government may obtain permission to use Aadhaar authentication on a voluntary basis;

AND, WHEREAS, the Government of India *vide* Office Memorandum no. 13(4)/2020-EG-II (Vol-IV) dated December 26, 2023 has conveyed the approval of the Competent Authority to allow the Revenue Department, Government of Uttar Pradesh for Aadhaar seeding of the said records and related services and use of Aadhaar on a voluntary basis for the purpose of identification in terms of rule 4 and 5 of the Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation knowledge) Rules, 2020 *read* with section 4(4)(b)(ii) of the Aadhaar Act, 2016 (as amended).

NOW, THEREFORE, the Government of Uttar Pradesh, hereby notifies, authorizing and allowing the Board of Revenue, (hereinafter referred to as "The Board") under the Revenue Department, to manage, update and upgrade the said records and related services, to seed Aadhaar and do Aadhaar Authentication on voluntary basis, for the purpose of identification under rule 4 and 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, *read* with section 4(4)(b)(ii) of the Aadhaar Act, 2016 (as amended) subject to the following conditions:–

1-(a) The instant approval is for both 'Yes/No authentication and e-KYC authentication' facilities.

(b) To obtain the said records and related services the eligible person may be required to submit proof of possession of Aadhaar on voluntary basis or get Aadhaar authentication done.

(c) Any person desirous of obtaining the said records and related services who does not possess the Aadhaar or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make an application for Aadhaar enrolment before registering for the said record and related services:

Provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar Enrolment Centre [List available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(d) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulation, 2016, the Department through its implementing agency (Board of Revenue, UP) is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries/service recipients who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment center located in the Respective Block or Tehsil, the Department through its implementing Agency shall provide Aadhaar enrollment facilities at convenient locations in coordination with existing Registrars of UIDAI or by becoming a Registrar of UIDAI themselves.

(e) The informed consent of the resident shall be obtained for the purpose of authentication in terms of Section 29 of the Aadhaar Act, 2016. The purposes for which the Aadhaar number and related information is being sought must be communicated clearly to the resident. Specifically, the manner in which the Aadhaar number will be collected, stored and used should be clearly communicated to the residents.

(f) The Aadhaar number of the beneficiary/service recipient shall not displayed anywhere. Only the last 4 digits will be displayed, first 8 digits will be masked. (e.g. xxxx xxxx nnnn)

(g) The Aadhaar number of the beneficiary/service recipient will be kept safe and stored in the Aadhaar Data Vault as per UIDAI Circulars issued from time to time.

(h) In the event of an epidemic like Covid-19, Iris scan or face authentication will be encouraged in place of finger print for biometrics authentication by the State Government for Aadhaar authentication.

(i) The State Government shall comply with all the relevant provisions/rules of the Aadhaar Act, and regulations and other instructions issued from time to time by the Ministry of Electronics and Information Technology, Unique Identification Authority of India (UIDAI), Government of India.

(j) The Board shall get its application software(s) audited by CERT-In empanelled IS auditor and submit the report to UIDAI. Any subsequent suggestion(s) made by UIDAI may be also complied with.

(k) The Board of Revenue shall ensure that provisions of section 3A(3) and section 8(2) and (3) of the Aadhaar Act, 2016 (as amended) relating to Aadhaar authentication of children are strictly adhered to without fail. There shall not be any denial of any benefit, subsidy or service to a child due to non-possession of Aadhaar or failure to Authenticate using Aadhaar. In case of a child, no Authentication shall be done without obtaining consent of his or her parent or guardian.

(l) Aadhaar e-KYC provides photograph of the resident along with demographic parameters-name, date of birth, gender, residence address as in Aadhaar. It does not provide any details of relationship of resident with any individual e.g. Name of Father Mother *etc.*

(m) There shall not be denial of any Service/benefit, to resident on account of failure of Aadhaar based Authentication.

(n) The resident shall be informed of alternate mechanism of identification/verification as the instant usage of Aadhaar authentication is permitted purely on voluntary basis.

(o) Complete details of the e-KYC information of the resident shall not be displayed on the screen instead only necessary demographic details such as first name, year of birth *etc.* may be displayed.

(p) Biometric authentication of residents shall be performed only in assisted mode of controlled environment by the operator authorized by the Board of Revenue and CEG Uttar Pradesh/Department of IT & Electronics, Government of Uttar Pradesh.

(q) It shall be the responsibility of Board of Revenue and CEG Uttar Pradesh/Department of IT & Electronics, Government of Uttar Pradesh to ensure adherence to the directions of the Supreme Court in its judgment dated September 26, 2018 in writ petition (Civil) No.494 of 2012 in the matter of justice KS Puttaswamy& another *vs*. Union of India & others.

The Competent Authority shall separately notify the methods of identification in case the claimants does not intend to authenticate using his Aadhaar.

2. In order to provide the said records and related services conveniently, the Department through its implementing agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar for the issuance of the said records and related services.

3.In all cases, Aadhaar authentication of the beneficiaries shall be done by any of the following mechanisms namely:–

(a) Biometric authentication through finger print;

(b) in case of poor finger print quality, Iris scan of face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its implementing Agency shall make provision for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(c) In case the biometric authentication through fingerprint or Iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar one time password or time-based one time password with limited time validity, as the case may be, shall be offered.

(d) In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or time based OneTime Password authentication is not possible, benefit under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through Quick Response Code (QR Code) printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response Code Reader shall be provided at convenient locations by the Department through its implementing agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no person shall be denied the issuance of said records and related services in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar.

5.This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

Consent form (physical/digital) to be collected from the beneficiary/service recipient for Aadhaar authentication as per the format given in the following Schedule “A”

SCHEDULE "A"

Consent Form Format

I..... (Aadhaar holder) Son/Daughter/Wife of..... (Aadhaar Holder's Father's Name/Mother's Name/Husband's Name), hereby consent for the use of my Aadhaar Number on voluntary basis to use for yes/no demographic authentication OR for fetching my identity and other information for purpose of e-KYC through UIDAI, using the record in the Khatauni (Records of Rights) and other land records and related services and any processes Aadhaar OTP or Biometric authentication with UIDAI and to use for the purpose of identification of my incidental thereto and seed the details in the Department database created by the IT system.

The consent and purpose of collecting Aadhaar has been explained to me in local language. The Department has informed me that my Aadhaar shall not be used for any purpose other than mentioned above.

I have been given other alternative means by the department for KYC purposes including physicals KYC by submitting officially valid documents and I have voluntarily chosen Aadhaar based KYC.

I understand that the Biometric and/or OTP I provide for authentication shall be used only for authenticating my identity through the Aadhaar Authentication System for that specific transition and for no other purposes.

By order,
P. GURU PRASAD,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 462 राजपत्र–2025–(1214)–599+70=669 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 4 सा0 राजस्व–2025–(1215)–600 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।